अध्याय – 1
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2010–11 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर–भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्यों को समनुदेशित विभाज्य संग्रहीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में से राज्य का अंश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूप आंकड़े नीचे दर्शाये गये हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
1.	**राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	10,473.13	12,017.64	13,613.50	17,272.77	21,419.33
	• कर–भिन्न राजस्व	2,658.46	2,738.18	3,342.86	6,382.04	5,719.77
	योग	**13,131.59**	**14,755.82**	**16,956.36**	**23,654.81**	**27,139.10**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	• विभाज्य संग्रहीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में राज्य का अंश	8,088.54	10,203.50	10,767.14	11,076.99	15,638.52[1]
	• सहायक अनुदान	4, 474.15	5,729.41	5,853.71	6,662.87	9,076.56
	योग	**12,562.69**	**15,932.91**	**16,620.85**	**17,739.86**	**24,715.08**
3.	**राज्य की कुल प्राप्तियां (1 तथा 2)**	**25,694.28**	**30,688.73**	**33,577.21**	**41,394.67**	**51,854.18**
4.	**3 से 1 का प्रतिशत**	**51**	**48**	**50**	**57**	**52**

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि पूर्ववर्ती वर्ष में 57 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व कुल प्राप्तियों (₹ 51,854.18 करोड़) का 52 प्रतिशत था। वर्ष 2010–11 के दौरान प्राप्तियों का शेष 48 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ ।

[1] विस्तृत विवरण के लिए कृपया मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2010–11 के वित्त लेखे में विवरण पत्रक क्रमांक 11 'राजस्व का विस्तृत लेखा लघु-शीर्षों से' का अवलोकन करें । शीर्ष 'राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश' के आंकड़ों, जो वित्त लेखे में 'क–कर राजस्व' के अन्तर्गत लेखांकित हैं, को राज्य द्वारा वसूल की गई राजस्व प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में 'विभाज्य संग्रहीय करों में राज्य का अंश' में शामिल किया गया है ।

1.1.2 निम्न तालिका 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान वसूल किए गए कर राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2009–10 की तुलना में 2010–11 में वृद्धि (+)/ कमी (–) का प्रतिशत
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर/वैट	5,261.41	6,045.07	6,842. 99	7,723.82	10,256.76	(+)32.79
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,546.68	1,853.83	2,301. 95	2,951.94	3,603.42	(+) 22.07
3.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	1,251.10	1,531.54	1,479.29	1,783.15	2,514.27	(+) 41.00
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	744.60	916.44	1,332.57	1,332.88	1,746.20	(+) 31.01
5.	वाहनों पर कर	634.30	702.62	772.56	919.01	1,198.38	(+) 30.40
6.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	714.55	626.08	343.06	2,146.49	1,476.32	(-) 31.22
7.	भू–राजस्व	132.21	129.15	338.84	180.03	360.81	(+) 100.42
8.	आय एवं व्यय पर अन्य कर– वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर कर	163.81	185.02	172.29	203.92	217.89	(+) 6.85
9.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	19.55	20.10	20.28	19.21	29.42	(+) 53.15
10.	होटल प्राप्तियां	4.92	7.79	9.67	12.20	15.85	(+) 29.92
11.	कृषि भूमि से अतिरिक्त स्थायी सम्पत्ति पर कर	––	..	..	0.12	0.01	(-) 91.67
योग		**10,473.13**	**12,017.64**	**13,613.50**	**17,272.77**	**21,419.33**	

सम्बन्धित विभागों द्वारा भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये गये :

राज्य उत्पाद शुल्क – मदिरा की दुकानों की नीलामी के दौरान नीलाम राशि की प्राप्ति में वृद्धि के कारण 22.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस : रियल एस्टेट सेक्टर के आर्थिक मंदी से उबरने तथा पंजीबद्ध दस्तावेजों की संख्या में वृद्धि होने को 41 प्रतिशत की असामान्य वृद्धि का कारण बताया गया । पंजीयन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत, मुख्तारनामे तथा विक्रय संविदाओं का पंजीयन दिनांक 14 जनवरी 2010 से अनिवार्य बनाये जाने के परिणामस्वरूप दस्तावेजों की संख्या एवं राजस्व में अप्रत्याशित वृद्धि हुई ।

वाहनों पर कर : जीवन–कालिक कर में वृद्धि तथा अधिक वाहनों के पंजीयन को 30.40 प्रतिशत वृद्धि का कारण बताया गया ।

विद्युत पर कर एवं शुल्क : वर्ष 2008–09 से संबंधित राजस्व को वर्ष 2009–10 में जमा किया गया । इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2009–10 के राजस्व में व ृद्धि हुई और इस प्रकार वर्ष 2010–11 के राजस्व में 31.22 प्रतिशत की कमी देखी गई ।

वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क : शासन द्वारा डी.टी.एच सेवा से मनोरंजन शुल्क की प्राप्ति को 53.15 प्रतिशत वृद्धि का कारण बताया गया ।

अनुरोध के बावजूद (अप्रैल 2011) अन्य विभागों द्वारा भिन्नता के कारण सूचित नहीं किए गए (मार्च 2012)।

1.1.3 निम्न तालिका 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान वसूल किए गए प्रमुख कर–भिन्न राजस्व के विवरण प्रदर्शित करती है :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2009–10 की तुलना में 2010–11 में वृद्धि (+)/कमी (–) का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	923.91	1,125.39	1,361.08	1,590.47	2,121.49	(+) 33.39
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	536.50	608.89	685.60	802.00	836.61	(+) 4.32
3.	विविध सामान्य सेवाऐं	736.58	374.60	380.17	399.12	143.00	(-) 64.17
4.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	159.30	220.17	580.56	2,068.46	1,900.94	(-) 8.10
5.	ब्याज प्राप्तियां	132.73	206.98	163. 29	1,284.03	298.56	(-) 76.75
6.	अन्य प्रशासनिक सेवाऐं	59.55	68.15	55.58	80.94	85.14	(+) 5.19
7.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	29.82	37.42	37.08	56.75	194.89	(+) 243.42
8.	पुलिस	24.26	25.03	23.63	41.98	62.55	(+) 49.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	लोक निर्माण	16.39	20.33	21.74	27.37	36.77	(+) 34.34
10.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	20.88	21.93	20.88	21.84	22.77	(+) 4.26
11.	सहकारिता	18.54	29.29	13.25	9.08	17.05	(+) 87.78
योग		**2,658.46**	**2,738.18**	**3,342.86**	**6,382.04**	**5,719.77**	

सम्बन्धित विभागों द्वारा भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये गये :

अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग: कंपनियों से म.प्र. ग्रामीण एवं सड़क विकास अधिनियम के अंतर्गत बकाया राशि की वसूली, विभाग द्वारा सतत निगरानी एवं परिवीक्षण तथा लघु खनिजों के राज्यांश में वृद्धि को 33.39 प्रतिशत वृद्धि का कारण बताया गया ।

वृहद एवं मध्यम सिंचाई : वर्ष 2010–11 में मुख्य अभियंता, गंगा कछार, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय तापीय ऊर्जा निगम (एन.टी.पी.सी.) सिंगरौली से प्राप्तियों के कारण 243.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

सहकारिता : ब्याज एवं ब्याज की वसूली के प्रभावी प्रयासों के कारण 87.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

अनुरोध के बावजूद (अप्रैल 2011) अन्य विभागों द्वारा भिन्नता के कारण सूचित नहीं किए गए (मार्च 2012)।

1.2 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन का प्रत्युत्तर

अग्रलिखित कंडिकाएं 1.2.1 से 1.2.6 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों/अनुशंसाओं के प्रति विभागों/शासन के प्रत्युत्तर की विवेचना करती हैं ।

1.2.1 जवाबदेही के प्रवर्तन एवं राज्य शासन के हित का संरक्षण करने में वरिष्ठ पदाधिकारियों की विफलता

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व सेक्टर लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय लेन – देन की नमूना जाँच तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन करने हेतु शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है। इन निरीक्षणों के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनमें निरीक्षण के दौरान पायी गयीं एवं स्थल पर अनिराकृत अनियमितताएं सम्मिलित रहती हैं, निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को जारी किये जाते हैं एवं त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही हेतु इनकी प्रतियाँ निकटतम उचतर प्राधिकारियों को प्रेषित की जाती हैं। कार्यालय प्रमुखों/शासन से निरीक्षण प्रतिवदेनों में सम्मिलित प्रेक्षणों पर त्वरित अनुपालन, कमियों एवं चूकों का सुधार तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर आरम्भिक उत्तर के माध्यम से महालेखाकार को अनुपालन

प्रतिवेदित किया जाना अपेक्षित है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागों के प्रमुखों तथा शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2010 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि 3,690 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 13,285 कण्डिकाएं, जिनकी राशि ₹ 9,355.55 करोड़ थी, जून 2011 के अन्त तक लम्बित थीं, जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूप आंकड़ों सहित नीचे दर्शाया गया है :

	जून 2009	जून 2010	जून 2011
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	**6,201**	**5,040**	**3,690**
लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	**19,731**	**15,608**	**13,285**
सम्मिलित राशि (करोड़ ₹ में)	**5,319.01**	**9,862.06**	**9,355.55**

30 जून 2011 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों तथा अंतर्निहित राशियों का विभागवार विवरण नीचे दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	अंतर्निहित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वाणिज्यिक कर	विक्रय, व्यापार आदि पर कर/वैट	849	4,174	919.33
2.	ऊर्जा	विद्युत शुल्क	37	133	1,737.42
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	मनोरंजन कर	174	350	19.94
		उत्पाद शुल्क	198	738	604.58
4.	राजस्व	भू–राजस्व	922	2,986	2,156.58
5	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	372	1,903	322.89
6	मुद्रांक एवं पंजीयन	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	385	1,055	94.91
7	खनन एवं भौमिकी	राज्यांश एवं भाटक	186	812	2,575.39
8.	वन एवं पर्यावरण	वनोपज प्राप्तियां	319	531	747.30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	अन्य कर–भिन्न प्राप्तियां	95	243	24.60
10.	कृषि		80	171	14.01
11.	सहकारिता		73	189	138.60
योग			**3,690**	**13,285**	**9,355.55**

यहां तक कि निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्ति हेतु अपेक्षित प्रथम उत्तर भी दिसम्बर 2010 तक जारी 520 निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए प्राप्त नहीं हुए थे । उत्तरों की अप्राप्ति के कारण लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की यह बड़ी संख्या इस तथ्य का द्योतक है कि कार्यालय प्रमुख एवं विभाग प्रमुख महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गयी कमियों, चूकों एवं अनियमितताओं के सुधार हेतु कार्रवाई आरम्भ करने में विफल रहे। यद्यपि इसे 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में इंगित किया गया था, लेकिन इस संबंध में कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये ।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर त्वरित एवं समुचित प्रत्युत्तर हेतु एवं साथ ही कर्मचारियों/अधिकारियों, जो निर्धारित समय–सीमा के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कण्डिकाओं के उत्तर प्रेषित नहीं करते हैं और समयबद्ध ंग से हानि/लम्बित माँग की वसूली के लिए कार्रवाई करने में भी असफल रहते हैं, के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु एक प्रभावशाली प्रक्रिया की स्थापना के लिए उपयुक्त कदम उठाए जायें।

1.2.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों और कण्डिकाओं के निराकरण की प्रगति पर निगरानी रखने एवं उन पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु शासन (विभिन्न अवधि ायों में) लेखापरीक्षा समितियां गठित करता है। वर्ष 2010–11 के दौरान आहूत लेखापरीक्षा समिति की बैठकों एवं निराकृत कण्डिकाओं का विवरण नीचे उल्लिखित है:

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	आहूत बैठकों की संख्या	निराकृत कंडिकाओं की संख्या	राशि
वाणिज्यिक कर	4	411	34.53
खनन	2	134	110.36
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	4	369	25.19
राज्य उत्पाद शुल्क	2	136	35.84
भू–राजस्व	2	516	140.85
वन	3	129	101.77
योग	**17**	**1,695**	**448.54**

यह तालिका दर्शाती है कि खनिज, राज्य आबकारी एवं वन विभागों के मामलों में लम्बित कण्डिकाओं का निराकरण संतोषजनक नहीं रहा। इसका प्रमुख कारण विभागों द्वारा लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के दौरान वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करना था।

1.2.3 संवीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न करना

वाणिज्यिक कर, मोटर वाहन कर, राज्य आबकारी शुल्क, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, भू–राजस्व एवं खनन प्राप्तियों के कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त अग्रिम में तैयार किया जाता है तथा इसकी सूचना, सामान्यतः लेखापरीक्षा आरम्भ होने से एक माह पहले, विभागों को जारी की जाती है जिससे कि वे लेखापरीक्षा जाँच हेतु वांछित अभिलेख तैयार रखें।

वर्ष 2010–11 के दौरान, 104 कार्यालयों से सम्बन्धित कुल 1,559 कर निर्धारण नस्तियाँ, पंजियां एवं अन्य वांछित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। इनमें से 550 प्रकरणों में, ₹ 284.89 करोड़ का कर अंतर्निहित था तथा शेष प्रकरणों में कर राशि की गणना नहीं की जा सकी। इस प्रकार के प्रकरणों का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम कार्यालयों की संख्या	लेखापरीक्षित नहीं हुए कर निर्धारण प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें अंतर्निहित राजस्व निर्धारित हो सका	सम्मिलित राजस्व
वाणिज्यिक कर 22	538	538	284.18
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस 15	31	1	0.50
भू–राजस्व 57	980	11	0.21
खनन 9	9	––	––
सहकारी समितियां 1	1	––	––
योग	**1,559**	**550**	**284.89**

1.2.4 प्राक्‌लेखापरीक्षा कण्डिकाओं के प्रति विभागों का प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्राक् लेखापरीक्षा कण्डिकाएं हमारे द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने एवं छःसप्ताह के भीतर अपने प्रत्युत्तर प्रेषित करने के अनुरोध के साथ जारी की जाती हैं। विभाग से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कण्डिका के अन्त में सदैव अंकित किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 88 प्राफ्क कण्डिका ऐं (68 कंडिकाओं में संयोजित) सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को प्रेषित की गयी थीं। उनके उत्तर (वन विभाग की तीन कंडिकाओं को छोड़कर) प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012)।

इन विभागों से सम्बन्धित कण्डिकाओं को विभागों के प्रत्युत्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

1.2.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन – संक्षिप्त स्थिति

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) विधान सभा के पटल पर 28 मार्च 2011 को रखा गया। वर्ष 2005–06 तक के प्रतिवेदनों एवं 2007–08 के प्रतिवेदन पर पूर्ण फ्कसे तथा 2006–07 के प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा आंशिक फ्कसे चर्चा की जा चुकी है। वर्ष 2008–09 से आगे प्रतिवेदनों पर अभी चर्चा की जानी है । विभिन्न वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों हेतु लो.ले.स. की अनुशंसाएं प्राप्त हो चुकी हैं ।

वर्ष 1992–93 तक की लो.ले.स. की अनुशंसाओं पर कार्यवाही प्रतिवेदन (ए.टी.आर.) प्राप्त हो चुके हैं। वर्ष 1993–94 से 2003–04 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रतिवेदन आंशिक फ्कसे प्राप्त हुए हैं तथा इसके पश्चात ए.टी.आर. संबंधित विभागों से प्राप्त नहीं हुए हैं यद्यपि कि राज्य विधायी मामला विभाग द्वारा जारी नवम्बर 1994 के अनुदेशों में निर्देशित किया गया है कि इन्हें लो.ले.स. की अनुशंसाओं की प्राप्ति की तिथि से छमाह के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

1.2.6 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

2005–06 से 2009–10 की अवधि के दौरान, विभागों/शासन द्वारा ₹ 1,798.84 करोड़ राशि के लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किए गए जिसमें से 31 मार्च 2010 तक मात्र ₹ 15.58 करोड़ की वसूली हुयी, जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रतिवेदन का कुल मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत मौद्रिक मूल्य	वसूल राशि	वसूली का स्वीकृत राशि के सापेक्ष प्रतिशत
2005–06	85.85	32.56	2.42	7.43
2006–07	318.57	288.61	1.93	0.67
2007–08	623.43	421.89	4.86	1.15
2008–09	1,339.50	112.89	3.11	2.76
2009–10	1,469.91	942.89	3.26	0.35
योग	**3,837.26**	**1,798.84**	**15.58**	

विगत पांच वर्षों में वसूली का प्रतिशत स्वीकार किये गये प्रकरणों की तुलना में अत्यन्त निम्न रहा है । शासन द्वारा कम से कम स्वीकार किये गये प्रकरणों में वसूली सुनिश्चित करने हेतु विचार किया जाना चाहिये ।

1.3 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों से निबटने हेतु प्रणाली का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उद्घाटित मुद्दों को विभागों/शासन द्वारा निबटाने की प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किसी एक विभाग से सम्बन्धित कण्डिकाओं एवं समीक्षाओं पर की गयी कार्रवाई का मूल्यांकन कर प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाता है।

अग्रलिखित कण्डिकायें 1.3.1 से 1.3.2.2 पिछले छ वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में अन्वेषित प्रकरणों तथा वर्ष 2000–01 से 2009–10 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रकरणों के निबटारे में खनिज विभाग के निष्पादन की विवेचना करतीं हैं।

1.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

विगत छ्वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रति वेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित कण्डिकाओं तथा 31 मार्च 2011 को इनकी अवस्था की संक्षिप्त स्थिति नीचे तालिका में प्रदर्शित की गई है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष			वर्ष के दौरान सम्मिलन			वर्ष के दौरान निराकरण			अंतिम शेष		
	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य
2005–06	284	806	575.33	26	136	226.81	55	199	40.30	255	743	761.84
2006–07	255	743	761.84	19	74	33.33	4	47	11.90	270	770	783.27
2007–08	270	770	783.27	21	85	90.06	6	58	70.16	285	797	803.17
2008–09	285	797	803.17	32	179	368.14	5	39	161.19	312	937	1,010.12
2009–10	312	937	1,010.12	41	268	1,824.35	61	211	181.12	292	994	2,653.35
2010–11	292	994	2,653.35	37	208	282.36	130	313	193.73	199	889	2,741.98

वर्ष 2010–11 के दौरान निराकृत 313 कण्डिकाओं में से, 179 कण्डिकाएं सामान्य तौर पर उत्तरों के आधार पर निराकृत की गयीं तथा शेष 134 कण्डिकाएं विभाग के साथ आयोजित की गयी लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में निराकृत की गयीं।

1.3.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में रेखांकित मुद्दों पर विभाग/शासन द्वारा दिया गया आश्वासन

1.3.2.1 स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कण्डिकाओं की स्थिति, इनमें से विभाग द्वारा स्वीकृत तथा वसूल की गयी राशि नीचे उल्लिखित है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	वर्ष के दौरान वसूल राशि	स्वीकृत प्रकरणों में वसूली की संचयी स्थिति
2000–01	6	14.40	2	10.83	10.41	10.41
2001–02	6	44.96	–	–	–	10.41
2002–03	5	120.86	3	0.79	–	10.41
2003–04	7	19.76	3	2.46	–	10.41
2004–05	4	2.53	2	2.23	0.13	10.54
2005–06	6	2.16	1	0.13	–	10.54
2006–07	8	5.20	8	5.26	0.29	10.83
2007–08	1 (समीक्षा)	395.76	1	0.11	–	10.83
2008–09	8	102.93	1	1.53	1.01	11.84
2009–10	11	447.89	3	138.24	0.32	12.16

विगत दस वर्षों के दौरान स्वीकार किए गये प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम रहा है । हमारे द्वारा इस गंभीर मुद्दे को विभाग तथा शासन के ध्यान में लाया गया है (अक्टूबर 2011) ।

1.3.2.2 विभागों/शासन द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

महालेखाकार द्वारा कार्यान्वित प्राप्त निष्पादन समीक्षाएं सम्बन्धित विभागों/शासन को सूचनार्थ एवं उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती हैं। इन निष्पादन समीक्षाओं पर एक निर्गम सम्मेलन में चर्चा भी की जाती है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु समीक्षाओं को अन्तिम रूप देते समय विभाग/शासन के दृष्टिकोण को इनमें सम्मिलित किया जाता है।

अग्रलिखित कण्डिकाएं वर्ष 2007–08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में खनिज विभाग पर प्रकाशित समीक्षा में रेखांकित मुद्दों एवं अनुशंसाओं तथा विभाग एवं शासन द्वारा स्वीकृत उन अनुशंसाओं पर विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई की विवेचना करती हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	समीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	स्वीकृत अनुशंसाओं के विवरण	स्थिति
2007–08	मध्य प्रदेश में खनिज प्राप्तियां	5	3	शासन द्वारा अनुशंसायें स्वीकार की गई तथा उनके क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही प्रचालित हो रही थी ।

1.4 लेखापरीक्षा नियोजन

विभिन्न विभागों के अन्तर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की पूर्व प्रवृत्तियों एवं अन्य मापदण्डों के अनुसार, उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम युक्त इकाईयों में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें अन्य बातों के अलावा शासकीय राजस्व एवं कर प्रशासन में महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्रीय), कराधान सुधार समिति की अनुशंसाएं, पिछले पाँच वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के गुण, पिछले पाँच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा का क्षेत्र और उसका प्रभाव आदि सम्मिलित होता है।

वर्ष 2010–11 के दौरान, लेखापरीक्षा समष्टि में 986 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयां थीं, जिनमें से 406 इकाईयाँ लेखापरीक्षा के लिए नियोजित की गयीं तथा 398 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई, जो कि कुल लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों का 40.37 प्रतिशत है।

इन प्राप्तियों के कर प्रशासन की प्रभावकारिता के परीक्षण हेतु उपरोक्त अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, तीन निष्पादन समीक्षाएं भी निष्पादित की गयीं।

1.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.5.1 वर्ष के दौरान निष्पादित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2010–11 के दौरान की गयी वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, वन एवं अन्य विभागीय कार्यालयों की 398 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 4,36,829 प्रकरणों में कुल ₹ 1,955.06 करोड़ का अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि प्रकट हुई। वर्ष के

दौरान विभागों ने 2010–11 में लेखापरीक्षा में इंगित किए गए 1,75,021 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 737.07 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। वर्ष 2010–11 के दौरान विभागों द्वारा 31,204 प्रकरणों में ₹ 70.50 करोड़ की वसूली की गयी।

1.5.2 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में कर, शुल्क तथा ब्याज, शास्ति आदि के कम आरोपण/अनारोपण से सम्बन्धित ₹ 291.79 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से अंतर्निहित '**मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक कर जाँच चौकियों की कार्यप्रणाली**', **अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में प्रेषणा पत्रों का उपयोग**' और **मोटर वाहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण**' पर तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं सहित 68 कंडिकाएं (उपरोक्त वर्णित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा जाँचों तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संसूचित प्रेक्षणों में से चयनित जिन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका) सम्मिलित हैं। विभागों/शासन ने ₹ 110.29 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है जिसमें से ₹ 1.99 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) । इनकी विवेचना अनुवर्ती अध्यायों 2 से 10 में की गई है।